न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 6/2017 (223 आरटीए) दीनाराम बनाम हरूराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00176)

दीनाराम पुत्र श्री खानुराम जाति मेघवाल निवासी करणीनगर, ईशरू, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 हरूराम पुत्र श्री खानुराम,
2 दीपाराम पुत्र श्री खानुराम,
3 भींयाराम पुत्र श्री खानुराम,
4 बागाराम पुत्र श्री खानुराम,
5 माधाराम पुत्र श्री सालुराम,
6 सालूराम पुत्र श्री खानुराम,
7 पूनाराम पुत्र श्री भीखाराम,
8 दुर्गाराम पुत्र श्री भीखाराम,
9 खींयाराम पुत्र श्री भीखाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम करणी नगर ईशरू, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
10 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार फलोदी।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 22.12.2015 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 17/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1, 3, 5 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 08.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 17/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 17/2012 पेश किया कि रेस्पो. सं. 1 वादी को ग्राम करणी नगर ईशरू के खेत खसरा नं. 528 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 652 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 653 रकबा 77 बीघा 6 बिस्वा तथा ग्राम संतोक नगर के खसरा नं. 472 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में वादी को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा बंटवारा किया जावे। उक्त वाद में अपीलांट को बिना कोई विधिवत नोटिस जारी किए उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया उसको भी खारिज कर अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं दावे का निर्णय कर दिया गया। वाद ग्रस्त भूमि अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता खानुराम की पैतृक पुश्तैनी भूमि थी जिसमें अपीलार्थी तथा रेस्पो. सं. 1 की माता माडु का भी कानूनन हिस्सा निहित था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को विवादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्से का बंटवाड़ा करने का जो अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित की है वह हिस्से के अनुरूप नहीं होने से निरस्त करने काबिल है। अपीलांट को उक्त वाद में कोई जबाब दावा पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया एवं वादी के वाद पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव बनाते वक्त भी कोई सूचना नहीं दी गई एवं हल्का पटवारी द्वारा रेस्पो. सं. 1 से मिली भगत करते हुए बिना मौके पर आए ही बंटवारा प्रस्ताव भेज दिया तब उस बंटवारा प्रस्ताव को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मौके एवं कब्जे के विपरीत होने एवं नियम 18 से 21 के विपरीत होने के कारण बहाल रखने के काबिल नहीं हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई के अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले में अपनी पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को मुकर्रर कर रखा था तथा अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में आपके विरुद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है उक्त प्रार्थना पत्र पर जब कभी आदेश होगा तो आपको सूचित कर दिया जावेगा। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता की बात पर विश्वास करता रहा। दिनांक 26.12.2016 को रस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलांट को ऐलानिया धमकी दी कि जिस स्थान पर तेरा कब्जा काश्त है उस स्थान पर बंटवाड़े के जरिए यह भूमि मेरे बंट में आ गई है तुझे यहां से कब्जा हटाना पड़ेगा। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 28.12.2016 को संपर्क किया तब अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे आदेश की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझे भी कोई सूचना नहीं दी इस कारण मैं आपको सूचना नहीं दे सका। अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायालय से पता कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु उसी दिन आवेदन पेश कर दिया जो नकल 29.12.2016 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश कर दी है अतः अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को मैरिट पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज कर प्रकरण को पुनः रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

8/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5 रेस्पो. सं. 1, 3, 5 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में दिए गए तर्क कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते हैं। अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 1, 3, 5 से 9 के अधिवक्ता श्री सी.पी. चौधरी ने अपील की मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को विधिवत रूप से सम्मन तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही की थी। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के तहत विस्तृत विवेचन करते हुए खारिज कर दिया। अपीलांट बंटवारे के वाद को लंबित करने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करता रहा जिन्हें खारिज कर दिया व अब अपील के माध्यम से बिना किसी ठोस आधार के केवल परेशान करने की दृष्टि से अपील पेश की गई है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने को निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य आधार यह है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि रेस्पों. का मुख्य तर्क है कि अपील मियाद बाहर है। अतः सबसे पहले अपील में मियाद के बिंदु को निर्णित किया जाना आवश्यक है।

9 धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट का कथन है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई के अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले में अपनी पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को मुकर्रर कर रखा था तथा अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में आपके विरुद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है उक्त प्रार्थना पत्र पर जब कभी आदेश होगा तो आपको

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सूचित कर दिया जावेगा। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता की बात पर विश्वास करता रहा। दिनांक 26.12.2016 को रस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलांट को ऐलानिया धमकी दी कि जिस स्थान पर तेरा कब्जा काश्त है उस स्थान पर बंटवाड़े के जरिए यह भूमि मेरे बंट में आ गई है तुझे यहां से कब्जा हटाना पड़ेगा। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 28.12.2016 को संपर्क किया तब अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे आदेश की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझे भी कोई सूचना नहीं दी इस कारण मैं आपको सूचना नहीं दे सका। अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायालय से पता कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु उसी दिन आवेदन पेश कर दिया जो नकल 29.12.2016 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश कर दी है अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पो. सं. 1, 3, 5 से 9 के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में दिए गए तर्क कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते हैं। अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.09.2012 को अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवही की जा चुकी थी उसके पश्चात दिनांक 28.06.2013 को अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया। तथा दिनांक 04.11.2015 को इस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 04.12.2015 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात पत्रावली विभाजन प्रस्ताव पर बहस में नियत की गई परंतु दिनांक 18.12.2015 को अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2015 के विरुद्ध रिवीजन राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से आदेश की प्रति पेश करने हेतु समय चाहा व उसके बाद प्रकरण दिनांक 22.12.2015 को सुनवाई में रखा गया। दिनांक 22.12.2015 की आदेशिका के अनुसार वकुलाय पक्षकारान उपस्थित अंकित है व वकील प्रतिवादी ने आदेश दिनांक 04.12.2015 के विरुद्ध रिवीजन राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने का कथन किया परंतु दिनांक 12.12.15 से 22.12.15 तक

8/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई आदेश की प्रति पेश नहीं की अतः प्रतिवादी के अधिवक्ता के तर्क को अस्वीकार कर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 को पारित किये गए। उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के अधिवक्ता को प्रकरण की हर स्टेज पर जानकारी थी। दिनांक 22.12.2015 को भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति थी। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता द्वारा धारा–5 में बिलंब के लिए किए गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2015 को है जबकि अपीलांट द्वारा 11.01.2017 लगभग 1 वर्ष बाद पेश की गई है। अतः अपील मियाद बाहर पाई जाती है। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए मैरिट पर निर्णय करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील मियाद के बिंदु पर ही खारिज योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2015 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

8/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00176)

अपील संख्या 06/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1दीनाराम पुत्र श्री खानुराम जाति मेघवाल निवासी करणीनगर,ईशरू तहसील फलोदी जिला जोधपुर।	बनाम	1.हरूराम पुत्र श्री खानुराम 2.दीपाराम पुत्र श्री खानुराम 3.भींयाराम पुत्र श्री खानुराम 4.बागाराम पुत्र श्री खानुराम 5.माधाराम पुत्र श्री खानुराम 6.सालूराम पुत्र श्री खानुराम 7.पूनाराम पुत्र श्री भीखाराम 8.दुर्गाराम पुत्र श्री भीखाराम 9.खींयाराम पुत्र श्री भीखाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम करणी नगर ईशरू,तहसील फलोदी जिला जोधपुर। 10 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार फलोदी।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,फलोदी दिनांक 22/12/2015 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 17/2012

यह अपील बतारीख 8/8/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पोडेंट संख्या 1,3,5 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.चौधरी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंट 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/12/2015 यथावत रखे जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 8/8/2018 को जारी हो किया गया।

8/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

8/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर